उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या – 24/2011

मंजु देवी बनाम् राज्य एवं अन्य

..ण की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (10)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
15/09/2014	**आदेश** :– माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड , रॉची में डब्लु0पी0(एस0)नं0– 1276/2009 मंजु देवी बनाम् राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.07.2011 को पारित आदेश के आलोक में आवेदिका मंजु देवी पति रामवेचन करमाली, ग्राम हेमंतपुर, पो0 सोसोकला, थाना गोला, जिला रामगढ़ द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची के द्वारा पारित आदेश में निर्देशित किया गया है कि आवेदिका के अभ्यावेदन जो ग्राम हेमन्तपुर स्थित आंगनबाडी केन्द्र के सेविका पद चयन से संबंधित है, पर नियमानुसार जांच कर उचित आदेश पारित किया जाय। तत् पश्चात् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोला से तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ न्यायालय में उपस्थित होनें हेतु आदेश निर्गत किया गया। आवेदिका वाद में निर्धारित पिछले पांच तिथियों से लगातार अनुपस्थित चली आ रही है। फलतः अभिलेख में संलग्न कागजात, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम हेमन्तपुर – I ऑगनबाड़ी केन्द्र सेविका के चयन में चयन प्रक्रिया के नियमों का अक्षरसः अनुपालन नहीं होनें के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, गोला को आदेश दिया जाता है कि वर्त्तमान में कार्यरत हेमन्तपुर – I केन्द्र के चयनित सेविका चिन्ता देवी का मानदेय अधोहस्ताक्षरी के अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए, सरकार के सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, के पत्र सं0–03/स0क0–134/2002–क–585 दिनांक 03.06.2006 में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत नवस्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थल शाखा एवं आंगनबाड़ सेविका के चयन करने से संबंधित निर्देशिका का अनुपालन करते हुए सेविका का चयन किया जाय। चयन प्रक्रिया में अगर सेविका चिन्ता देवी पुनः चयनित होकर नहीं आती है, तो चयन की तिथि से दी गई मानदेय वसुली हेतु निलाम पत्र वाद दायर कर वसुली की जाय। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई निस्तारित की जाती है। आदेश अनुपालन हेतु आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोला एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) उपायुक्त, रामगढ़। (हस्ताक्षर) उपायुक्त, रामगढ़।	4/10 ... 11/11/14 C.O. ... 594/विवि 28.10.14 C.C. ... 5/11/014 C.C. ... 19/...